रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082024-256188 CG-DL-E-08082024-256188

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3070]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 8, 2024/श्रावण 17, 1946 NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 8, 2024/SHRAVANA 17, 1946

No. 3070]

# रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

## आदेश

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2024

का.आ. 3220(अ).—भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का. आ. 1394 (अ) तारीख 30 मई, 2013 और का. आ. 5249(अ) तारीख 11 नवम्बर, 2022 के साथ पिठत औषिध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5,11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), द्वारा खुदरा कीमतों के निर्धारण के संबंध में का. आ. 3170 (अ) दिनांक 06.08.2024 अधिसूचना जारी की गई। इन खुदरा कीमतों को का. आ. 3171(अ) दिनांक 06.08.2024 के माध्यम से भी अधिसूचित किया गया है। अतः एनपीपीए डुप्लिकेट का. आ. 3171(अ) दिनांक 06.08.2024 (हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों संस्करणों में) को वापस लेता है एवं का. आ. 3170 (अ) दिनांक 06.08.2024 वैध एवं क्रियाशील रहेगा।

[पीएन/257/125/2024/एफ /फा. सं. 8(125)/2024/डी.पी./एनपीपीए-डी.वी.-II] महावीर सैनी, उप निदेशक

5026 GI/2024 (1)

### MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

#### (Department of Pharmaceuticals)

(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)

#### **ORDER**

New Delhi, the 8th August, 2024

**S.O. 3220(E).**—In exercise of the powers conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30<sup>th</sup> May, 2013 and S. O. 5249(E) dated 11<sup>th</sup> November, 2022 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) issued notification vide S.O. 3170 (E) dated 06.08.2024 for fixation of retail prices. These retail prices were also notified vide S.O. 3171 (E) dated 06.08.2024. Therefore, NPPA hereby withdraws the duplicate S.O. 3171(E) dated 06.08.2024, (both in Hindi & English versions) and S.O. 3170(E) dated 06.08.2024 shall remain valid and operative.

[PN/257/125/2024/F/F. No. 8(125)/2024/D.P./NPPA-Div.-II]

MAHAVEER SAINI, Dy. Director